न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 19/2014/(2014/00073) जिला–नागौर

हेमाराम गोद पुत्र किशनाराम, जाति जाट (बाज्या) निवासी बिजाथल तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. सुवा उर्फ सुवटी पत्नी किशनाराम जाति जाट (बाज्या) निवासी बीजाथल तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।
2. वीर तेज शिव शक्ति ग्राम बीजाथल तहसील रिंयाबड़ी जिला नागौर जरिे महन्त किशनगिरी जाति गिरी।
3. राजस्थान सरकार तहसीलदार रियांबड़ी जिला नागौर।

—————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
दिनांक 18–02–2014 अन्तर्गत अपील संख्या 46/2013
बउनवान हेमाराम बनाम सुवा उर्फ सुवटी व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री भींयाराम चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री सहदेव चौधरी, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1 से 2

निर्णय

दिनांकः– 01–08–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 163 व 167/874 की सम्पूर्ण भूमि का बेचान प्रत्यर्थी संख्या 2 को कर दिया उक्त बेचान के आधार पर तहसीलदार रिंयाबड़ी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 1–7–2013 स्वीकृत कर दिया। उक्त नमान्तरकरण के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–2–2014 द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय, जिला कलक्टर नागौर के उक्त

आदेश दिनांक 18–2–2014 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं उसके पति स्व0 किशनाराम के कोई जायन्दा सन्तान नहीं होने से स्व0 श्री किशनाराम ने अपने जीवनकाल में प्रत्यर्थी संख्या 1 का वंश चलाने के लिए अपीलार्थी को गोद पुत्र लेने के संबंध में अधिकार दिये थे तथा किशनाराम जी का देहान्त होने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्व0 किशनाराम की मूर्ति स्थापना के दिन स्व0 किशनाराम के छोटे भाई नाथूराम के पुत्र अपीलार्थी को समाज के रीति रिवाज अनुसार हिन्दु विधि के अनुसार गोद की सम्पूर्ण रस्म अदा करते हुए भाई बधुओं एवं जाति गुवाडी के समक्ष गोद लेकर गोद की रस्म को पूरा किया व अपीलार्थी को स्व0 किशनाराम का उत्तराधिकारी होने का साफा बंधवाया गया तब से स्व0 किशनाराम की सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पत्ति पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ अपीलार्थी को मालिक व हकदार बनाया गया तब से अपीलार्थी पुत्र की हैसियत से प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ निवस करता रहा है। विवादित आराजियात की खातेदारी प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हो जाने से उसका नाजायज लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विवादित आराजियात खेत को बेचान, हस्तांतरण आदि करने का प्रयास कर दिया तब अपीलार्थी ने अपने निहित हक अधिकारों को अपने नाम घोषित करवाने एवं सुरक्षित रखने हेतु धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का राजस्व वाद व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विवादित खेत व अन्य खेतों के बेचान, हस्तान्तरण आदि नहीं करने व मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी संख्या 1 को थी फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी को हक अधिकारों से वंचित रखने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में खसरा नम्बर 163 व 167/874 की सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 2 का विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त नहीं होने पर भी विधिविरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 1–7–2013 अपने पक्ष में स्वीकृत करा लिया जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 18–2–2014 से खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि विधि का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि यदि पक्षकरों के मध्य किसी प्रकार का वाद विचाराधीन है तो नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व विवादित आराजियात पर मौके की स्थिति का जायजा लेकर एवं

पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश पारित करना चाहिए था। किन्तु तहसीलदार द्वार विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर नामान्तरकरण संख्या 329 स्वीकृत किया है जो निरस्त योग्य था। अपीलार्थी की अपील राजस्व अपील अधिकारी नागौर के न्यायालय में विचाराधीन थी और उक्त अपील में विवादित आराजी के बाबत राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित कर दिया जो आज दिनांक तक प्रभावी है। उक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—2—2014 एवं तहसीलदार, रियांबड़ी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 1—7—2013 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रिंयाबड़ी के समक्ष राजस्व वाद संख्या 03/2010 दिनांक 30—6—2013 को खारिज किया जा चुका है। जिसका अंकन पटवारी हलका द्वारा नामान्तरकरण में किया हुआ है। तत्पश्चात ही तहसीलदार, रिंयाबडी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 1—7—2013 स्वीकृत किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 163 व 167/874 के मूल खातेदार स्व0 किशनाराम थे जिनकी मृत्यु पश्चात उनकी चल व अचल सम्पत्ति उनकी बेवा सुवा उर्फ सुवटी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई। अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों में उल्लेखित किया है कि स्व0 किशनलाल ने उसको गोद लिया था किन्तु स्व0 किशनलाल ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी को कभी गोद लिया हो ऐसा कोई दस्तावेज न तो बहस के दौरान प्रस्तुत किया और न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को स्व0 किशनलाल ने अपने जीवनकाल में कभी गोद लिया हो सिद्ध नहीं होता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दानपत्र द्वारा खसरा नम्बर 101 रकबा 1.02 बारानी—2 लगान 5.10 की खातेदारी प्रत्यर्थी संख्या—2 श्री वीर तेजा शिवशक्ति ग्राम बीजाथल जरिये अध्यक्ष रामेश्वर गिरी चेला , किशनगिरी जाति गिरी निवासी रिंयाबडी खातेदार के नाम स्वीकृत हुई जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 1—7—2013 स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रिंयाबड़ी के समक्ष एक राजस्व वाद 3/2010

विचाराधीन था जो भी दिनांक 30–6–2013 को खारिज हो चुका है जिसका अंकन पटवारी हलका द्वारा नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 1–7–2013 में भी किया गया है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–2014 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–2–2014 अन्तर्गत अपील संख्या 46/2013 बउनवान हेमाराम बनाम सुवा उर्फ सुवटी व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–08–2022 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवरलाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर